

RBE No.76/2018



PCPO's Sl.No.105/2018

No. E/227(D)/O/ECR/HJP

Dated:- 12.06.2018

1. CAO (Con.)/ उत्तर एवं दक्षिण / पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे, हाजीपुर।
3. DRM/ पू.म.रे/ मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
5. मुख्य कार्मिक अधिकारी/ प्रशासन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
6. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
7. CWM/ पीडी/ मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना/ समस्तीपुर/ हरनौत।
8. Sr.DPO/ पू.म.रे/ मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
9. उप महाप्रबंधक/ विधि/ पटना।
10. प्राचार्य/ क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/ मुजफ्फरपुर एवं भूली।
11. सभी मुकार्याधी/ कार्याधी/ पू.म.रे/ हाजीपुर।

विषय : Status of Indian Power lifting Federation (IPF).

संदर्भ : Rly. Board's.Lt. No.2018/E(Sports)/4(1)/1/PLG Dated :31.05.2018

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही हैं

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.

(रवि कुमार पंडित)
सकाधि/ ई.एस.एम एवं रूलिंग
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)/ हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महासचिव/ ईसीआरकेयू/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
2. महासचिव/ एफ.ओ.सी. / एस.टी.टी. / एशोसिएशन / पू.म.रे/ हाजीपुर।
3. वृत्तमधि (एम.पी.पी.) पू.म.रे/ हाजीपुर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ ओ.बी.सी.एशोसिएशन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।

05/15/18
13/15/18

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड) (Railway Board)

No. 2018/E(Sports)/4(1)/1/PLG

New Delhi, dated 31.05.2018

The General Managers (P),

✓ All Zonal Railways including
CLW, DLW, ICF, RCF, RWF, Metro Railway/Kolkata, 055042
The CAO(R), DMW/Patiala,
The DG, RDSO/Lucknow.


विषय: Status of Indian Powerlifting Federation (IPF).

संदर्भ: Board's letter no. 2010/E (Sports)/4(1)/1 (policy) dated 31.12.2010 (RBE No. 189B/2010) and clarifications/ corrigendum issued thereto.

At present there are two factions of Indian Powerlifting Federation (IPF), none of which is recognized by the Ministry of Youth Affairs and Sports.

In view of above, it has been decided that the sports achievements in the event conducted by Indian Powerlifting Federation (IPF) or its affiliated units after 03.10.2017, shall not be considered for recruitment, incentives and all other establishment matters, till further order. However, the certificates issued by the Association of Indian Universities and the International Federations for recognized sports achievement in the game of ~~Powerlifting~~ will be permissible for said purpose.

Powerlifting



(Bhaskar Roy Choudhury)
Dy. Director/ Estt.(Sports)

New Delhi, dated 31.05.2018

No. 2018/E(Sports)/4(1)/1/PLG

Copy to:

1. The General Secretary, AIRF, 4, State Entry Road, New Delhi.
2. The General Secretary, NFIR, 3, Chelmsford Road, New Delhi.
3. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employee Association, 7-GF, Ground Floor, Rail Bhavan, New Delhi.
4. The General Secretary, All India OBC Railway Employees' Association, Room No.48, Rail Bhavan, New Delhi.


For Secretary/Railway Board

Copy to:

1. The FA&CAO, All Zonal Railways and Production Units.
2. The Hony. General Secretaries, Sports Associations of all Zonal Railways/ Production Units.
3. PPSs/PSs to CRB; MS; AM(S); Adv.(IR); ED/E(N); ED(E); ED/E(Res.); ED/F(E); D/E(N); JD/E(N); JD/E(Rep.)-I&II; JD/E(W); DD/E(N)I&II; DD/E(R)-I&II; DD/P(E)-I,II&III; and E(Rep.)-I,II&III; E(SCT)I&II; E(NG)I&II; and F/E(Spl.) Branches in Board's office.

पूर्व-मध्य रेल, हाजीपुर

CPD's 105/18

04 JUN 2018



रेलवे बोर्ड का पत्र प्राप्ति सं. 02

आरबीई सं. 76 /2018
स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र सं. 92

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

सं. 2018/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1/पीएलजी

नई दिल्ली, दिनांक 31.05.2018

महाप्रबंधक (पी)

55078

सभी क्षेत्रीय रेलों सहित

04 JUN 2018

चि.रे.का., डी.रे.का., स.डि.का., आरसीएफ, रेल पहिया कारखाना, मेट्रो रेलवे/ कोलकाता
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर), डीएमडब्ल्यू/पटियाला
महानिदेशक, अ.अ.मा.स./लखनऊ

विषय: इंडियन पावरलिफ्टिंग फेडरेशन (आईपीएफ) की स्थिति।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 31.12.2010 का पत्र सं. 2010/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1(पॉलिसी)
(आरबीई सं. 189बी/2010) तथा इस संबंध में जारी किए गए स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र।

इस समय इंडियन पावरलिफ्टिंग फेडरेशन (आईपीएफ) के दो गुट हैं, जिनमें से किसी भी गुट को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

उपर्युक्त को देखते हुए, यह विनिश्चय किया गया है कि 03.10.2017 के पश्चात् इंडियन पावरलिफ्टिंग फेडरेशन (आईपीएफ) अथवा इसकी सम्बद्ध इकाइयों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में खेलकूद उपलब्धियों पर भर्ती, प्रोत्साहन तथा स्थापना संबंधी अन्य सभी मामलों पर अगले आदेश होने तक विचार नहीं किया जाएगा। बहरहाल, पावरलिफ्टिंग के खेल में मान्यताप्राप्त खेलकूद उपलब्धि के लिए भारतीय विश्वविद्यालय संघ तथा अन्तरराष्ट्रीय फेडरेशनों द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र उक्त प्रयोजन के लिए अनुमेष होंगे।

(भास्कर राय चौधरी)
उप निदेशक/स्था.(खेलकूद)

सं. 2018/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1/पीएलजी

नई दिल्ली, दिनांक 31.05.2018

प्रतिनिधि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, 4, स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
3. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाईज एसोसिएशन, 7-जीएफ, भू-तल, रेल भवन, नई दिल्ली।
4. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे इम्प्लाईज एसोसिएशन, कमरा नं. 48, रेल भवन, नई दिल्ली।

- प्रमुखताधि
- प्रकाश प्रशा
- उप प्रकाश/राज
- उप प्रकाश/मा.
- वकाश
- प्रकाश ES/म
- प्रकाश अधिकारी

Chos/Rudip

नवीन
कृते सचिव/रेलवे बोर्ड